भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *366
उत्तर देने की तारीख : 18.07.2019

अल्पसंख्यकों हेतु योजनाएं

***366. श्री अब्दुल खालेकः**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान किया गया कुल वार्षिक आवंटन कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान असम में अल्पसंख्यकों हेतु आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ संसद सदस्यों सहित कोई राज्यस्तरीय परामर्शदात्री निकाय है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है/विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मौलाना आज़ाद फाउंडेशन तथा केन्द्रीय वक़्फ परिषद् से असम को उक्त अवधि के दौरान आवंटित धनराशि कितनी है?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"अल्पसंख्यकों हेतु योजनाएं" के संबंध में श्री अब्दुल खालेक द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 18.07.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *366 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए किए गए वार्षिक आबंटन का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	आबंटन (करोड़ रु0 में)
2016-17	3827.26
2017-18	4195.48
2018-19	4700.00

(ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई, पारसी तथा जैन समुदायों के कल्याण के लिए असम सहित देशभर में विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं/कार्यक्रम संक्षेप में निम्नानुसार हैं:–

शैक्षिक सशक्तिकरण

- छात्रवृत्ति योजनाएं (मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट–सह–साधन)
- मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ)
- पढ़ो परदेश– विदेश में अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना।
- नया सवेरा– निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना
- नई उड़ान– संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सहायता।

आर्थिक सशक्तिकरण

- रोजगार उन्मुख कौशल विकास
- कौशल विकास
- सीखो और कमाओ (लर्न एंड अर्न)
- उस्ताद (विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन) और हुनर हाट
- नई मंजिल
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के माध्यम से रियायती ऋण।

अवसंरचना विकास

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

विशेष जरूरतें

- नई रोशनी – अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास और सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और मध्यस्थों के साथ बातचीत के लिए जानकारी, उपकरण और तकनीकें प्रदान करते हुए महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करना।
- हमारी धरोहर
- जियो पारसी – भारत में पारसियों की जनसंख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने की योजना
- वक्फ प्रबंधन
  (i) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण और अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना)
  (ii) शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (शहरी वक्फ संपत्तियों को विकसित करने के लिए वक्फों को सहायता–अनुदान की योजना)
- विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन तथा प्रचार

मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में अल्पसंख्यकों के हितार्थ उनके सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया है। पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

योजना	वित्तीय विवरण (करोड़ रु. में)	परियोजनाएं/लाभार्थी
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	1071.10	हॉस्टल – 40, स्मार्ट कक्षाएं – 1628, सद्भाव मण्डप – 59, मार्केट शेड – 350, आवासीय स्कूल – 21, स्कूली भवन – 37, अतिरिक्त क्लास रूम – 4083, स्वास्थ्य परियोजनाएं – 88, आंगनवाड़ी केंद्र – 1096
मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति मेरिट–सह–साधन बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	283.75	5,30,094 छात्र
सीखो और कमाओ नई मंजिल उस्ताद गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण योजना	53.15	19,164 लाभार्थी .
नई रोशनी	2.44	8400 प्रशिक्षणार्थी कवर किए गए
एनएमडीएफसी	10.00	1667 लाभार्थी
निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	0.21	50 लाभार्थी
मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	4.23	99 लाभार्थी

(ग) और (घ): पीएमजेवीके के अधीन जिलों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए भी राज्य स्तरीय समिति के रूप में काम करती है। समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं और लोक

सभा से दो संसद सदस्य (एक संसद सदस्य किसी भी अल्पसंख्यक बहुल जिले से) और राज्य सभा से एक संसद सदस्य केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों के रूप में नामित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति पीएमजेवीके के लिए भी जिला स्तरीय समिति के रूप में कार्य करती है। जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा से एक संसद सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा जिला स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) एवं केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) से असम को आबंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(लाख रु0 में)

	2016–17	2017–18	2018–19
एमएईएफ			
बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	458.00 लाख रु0 8790 लाभार्थियों के लिए		
गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण योजना	640.00 लाख रु0 2500 लाभार्थियों के लिए		
सीडब्ल्यूसी			
कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना*	1.41	12.85	08.10

*पहले यह योजना **वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण** के रूप में जानी जाती थी।

*****